संख्याः 840 /XVII(4)/2012/43/10

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, **देहरादूनः दिनांक** 27 **अप्रैल, 2012**

विषयः **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई0) की संचालन एवं मानीटरिंग समितियों के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3038/आई0जी0एम0एस0वाई0-1536(2)/2011-12 दिनांक 24-3-2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई0) के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नवत विभिन्न स्तरो पर समितियां गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1-राज्य स्तरीय समिति-

क0स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष/सचिव/सदस्य
1	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2	सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4	सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5	सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6	निपसिड के प्रतिनिधि	सदस्य
7	सम्बन्धित अग्रणी बैंक/प्रधान डाकघर के प्रमुख राज्य प्रबंधक	सदस्य
8	सम्बन्धित जिलो के जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी	सदस्य
9	दो सांसद/विधायक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	निदेशक आई0सी0डी0एस0	सदस्य सचिव
11	अन्य (अध्यक्ष के विवेकानुसार बुलाये जाने वाले)	आमंत्रित सदस्य

2–जिला स्तरीय समिति–

क0 स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
1	जिलाधिकारी / जिला विकास अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी।	अध्यक्ष
2	जिला पंचायत / परिषद	सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
5	अग्रणी बैंक / प्रधान डाकघर के सम्बन्धित अधिकारी	सदस्य
6	सम्बन्धित इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जिलों के चुनिंदा बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
7	सम्बन्धित जिलो के सांसद / विधायक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0	सदस्य
9	अन्य (अध्यक्ष के विवेकानुसार बुलाये जाने वाले)	आमंत्रित सदस्य

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना परियोजना–स्तरीय संचालन एवं मॉनीटरन समितिः

क0स0	पद नाम	समिति में अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
3	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	पंचायत समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
5	सम्बन्धित अग्रणी बैंको / प्रधान डाकघर के प्रमुख परियोजना प्रबन्धक	सदस्य
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य–सचिव

2– राज्य स्तरीय समिति की बैठक हर तीन माह में एक बार बुलाई जायेगी अथवा आवश्यकता होने पर अध्यक्ष के विवेकानुसार पहले भी बुलाई जा सकती है तथा जिला स्तरीय समिति, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना परियोजना–स्तरीय संचालन एवं मॉनीटरन समिति की हर महीने बैठक आयोजित की जायेगी। ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति अपनी बैठको में ग्राम स्तर पर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का अनुश्रवण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त योजना की समीक्षा के लिये समिति में सदस्य के रूप में बैंक शाखा प्रबन्धक / डाकघर प्रभारी को भी सम्मिलित किया जायेगा।

3– इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का संचालन एवं योजनान्तर्गत गठित उक्त समितियों का संचालन समय–समय पर योजना सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशो के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
सचिव

संख्या: (1)/XVII(4)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार।
2. निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3. समिति के मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण।
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव